सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 345 राँची, मंगलवार, 23 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

15 अप्रैल, 2019

संख्या-5/आरोप-1-113/2017-1757 (HRMS)-- सुश्री प्रीति सिन्हा, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1930, दिनांक 04.07.2017 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

प्रपत्र- 'क' में सुश्री सिन्हा के विरूद्ध मनरेगा योजनाओं में प्रत्येक प्रखण्ड में न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति ग्राम पंचायत सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 19 मानव दिवस के सृजन करने, डोभा निर्माण के कुल लक्ष्य 507 के विरूद्ध मात्र 81 डोभा का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने, मात्र 28% जॉब कार्ड का सत्यापन करवाने, विभागीय निर्देश के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लंबित योजनाओं को पूर्ण नहीं करवाने, मनरेगा अंतर्गत कुल 13% विलम्बित (Delay Payment) भुगतान का मामला रहने एवं मात्र 6 % परिसम्पत्तियों का ही जियो टैगिंग करवाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10022, दिनांक 20.09.2017 द्वारा सुश्री सिन्हा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा अपने पत्र, दिनांक 11.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

सुश्री सिन्हा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3480, दिनांक 24.05.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। इसके आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-97/स्था०, दिनांक 09.01.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें सुश्री सिन्हा के स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया।

सुश्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 20.04.2017 को Video Conferencing के माध्यम से दिये गये निर्देश के बावजूद भी कटकमदाग प्रखण्ड में डोभा निर्माण का कुल लक्ष्य 747 के विरूद्ध मात्र 274 डोभाओं में कार्य प्रारंभ किया गया एवं दिनांक 11.08.2017 तक मात्र 151 डोभा का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। सभी लंबित योजनाओं को पूर्ण करवाकर MIS मे Close करने के निर्देश के बावजूद माह अगस्त, 2017 तक वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 तक की कुल 280 योजनाएँ लम्बित थी एवं शत प्रतिशत योजनाओं का जियो टैगिंग के लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 11.08.2017 तक सिर्फ 70% योजनाओं का ही जियो टैगिंग करवायी गई, जो सुश्री सिन्हा की उनके कार्य के प्रति लापरवाही का धोतक है।

अतः समीक्षोपरांत, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए सुश्री प्रीति सिन्हा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	**Employee Name G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	PRITI SINHA 111001274224	सुश्री प्रीति सिन्हा, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 345 -- 50